(b) Does not arise

(c) A complaint that about 9641 bags of wheat received under Indo US Agreement and allotted to one Shri P Sundaram by the Church World Service, a Voluntary Agency approved by the Government for free distribution in Koilpatti and Kadambur towns in Tirunelveli District of Tamil Nadu had been sold in the black market is under verification by the Central Bureau of Investigation Madras These bags were despatched by Regional Director (Food)

(d) No official of Food Corporation of India is concerned in the matter Appropriate action will be taken on receipt of a report from the Central Bureau of Investigation

भाडागार निगम द्वारा खरीदा गया अनाज

594 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 तथा 1968–69 के दौरान विभिन्न राज्यों मे भाण्डागार निगमों ने कितना अनाज खरीदा और कितना अनाज भाण्डागारों मे सड़ गल कर बर्बाद हुआ , और

(ख) क्या यह सच है कि भाण्डागार निगम अभी तक किसानों का विश्वास प्राप्त कर उनकी सहायता करने मे असफल रहा है और यदि हा, तो इसके क्या कारण है ?

†[FOODGRAINS PURCHASED BY WARE HOUSING CORPORATION

594 SHRI J P YADAV. Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state

(a) the quantity of foodgrains purchased by the Warehousing Corporation during the years 1967 68 and 1968 69 in each of the States and the value of the foodgrains which were wasted in warehouses, and

(b) whether it is a fact that the Warehousing Corporation has not been successful so far in helping the farmers by winning over their confidence, and if so, what are the reasons therefor?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) (क) केन्द्रीय अथवा राज्य भाण्डागार निगम कोई खाद्यान्न नही खरीदते है और इसलिए खरीदे गए खाद्यान्नो की बर्बादी के कारण हानि होने का प्रश्न ही नही उठता।

(ख) जी नही। केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगम का मुख्य कार्य जमाकर्ताओं को कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओ के लिए वैज्ञानिक सचयन विधाए सुलभ करना है। इन निगमो के पास किसानो द्वारा रखा गया माल अधिक नही होता है क्योकि भाण्डागार की रसीदों पर व्यक्तिगत किसानो को सीमित पेशगी राशि मिलती है और किसान भी अपने थोडे स्टाक को भाण्डागारो मे लाना अलाभकर समझता है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) (a) The Central or the State Warehousing Corporations do not purchase any foodgrains and, therefore, the question of loss on account of wastage of purchased foodgrains does not arise

(b) No, Sir The main function of the Central and the State Warehousing Corporations is to provide scientific storage facilities for agricultural produce and other notified

†[ ] English translation

commodities, offered by the depositors. The deposits made by the farmers with the Corporations are not large because of the limited advances available to individual farmers against warehouse receipts and also because farmers find it uneconomical to bring their small stocks to the warehouses.]

अन्न की उपज

595. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न राज्यों में अन्न की कितनी उपज हुई है और कितना अन्न आवश्यकता से कम पड़ा है ;

(ख) अन्न के मामले में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कृषि सम्पत्ति पर कर, खाद पर कर एवं विद्युत चालित पम्पिंग सैटों पर कर लगाये जाने के कारण किसानों के उत्साह में कमी आई है ?

†[FOOD PRODUCTION

595. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of FOOD and AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains produced in the various States during the past one year and so far during the current year and the quantum by which this production fell short of the requirements;

(b) what measures have been taken by Government to encourage the farmers in order to make India self-sufficient in the matter of food, and

(c) whether it is a fact that taxes on agricultural property, fertilizers and power driven pumping sets have disheartened the farmers?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) . (क) भारत में 1967–68 के दौरान राज्यवार कुल खाद्यान्नों का उत्पादन प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। 1968–69 के लिए यह आकड़े चालू कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त 1969 में उपलब्ध हो सकेंगे। उपभोग के वैज्ञानिक तथा बृहद् सर्वेक्षण के अभाव में तथा इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि खाद्यान्नों का उपभोग कुछ हद तक घटता बढ़ता रहता है, यह खाद्यान्नों और अन्य एवजी खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता पर उनके तुलनात्मक मूल्य, आय के स्तर, जनसंख्या की वृद्धि तथा नगरीकरण की अवस्था पर निर्भर करता है। अतः खाद्यान्नों की मांग अथवा उसमें पड़ने वाली कमी की मात्रा के सही आकडे देना संभव नहीं है।

(ख) सरकार खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए किसानों को खेती के विकसित साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित और समर्थता प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। प्रमुख साधनों में नयी तकनीकों का अपनाया जाना, सुधरे बीज, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं और कृषि मशीनों, संस्थानिक ऋण, किसानों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध और उचित मूल्यों का आश्वासन रूपी आवश्यक इन पुटों का सुव्यवस्थित प्रबन्ध आदि है।

(ग) शक्ति चालित पम्पसेटों पर से कर हटा लिया गया है। जहां तक सम्पदाकर का प्रश्न है, कृषि के लिये छूट की अलग से व्यवस्था की गई है। सरकार सन्तुष्ट है कि कर किसी भी प्रकार कृषि उत्पादन में बाधा नहीं डालेंगे।

†[ ] English translation.